तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती शीलाकौर बनाम जरनेल सिंह** **8/2018 (आरसीएमएस नं. 2018/00010)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई के क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर को नही होने से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट को तहसीलदार रामगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 25.01.2017 की अपील अलग से प्रस्तुत करने का अनुतोंष देते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.2017 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 05/03/18 (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	